दिनांक 26.11.11 को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आई0सी0डी0एस0 की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

- **उपस्थिति :-**

1. कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. ब्रज बिहारी शर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर।
3. मीरा कुमारी, बाल विकास परियोजना पदा0, सदर, मुंगेर।
4. रंजू देवी, बाल विकास परियोजना पदा0, सदर, ग्रामीण।
5. सारिका कुमारी, बाल विकास परियोजना पदा0, जमालपुर।
6. वीणा रानी, बाल विकास परियोजना पदा0, बरियारपुर।
7. गुंजन मौली, बाल विकास परियोजना पदा0, धरहरा।
8. सुधा गुप्ता, बाल विकास परियोजना पदा0, तारापुर।
9. आशा रानी सिंह, बाल विकास परियोजना पदा0, खड़गपुर।
10. चंचला कुमारी, बाल विकास परियोजना पदा0, असरगंज।
11. सुषमा कुमारी, बाल विकास परियोजना पदा0, संग्रामपुर।
12. आशा रानी सिंह, बाल विकास परियोजना पदा0, टेटियाबंबर।

सर्वप्रथम जिला प्रोग्रम पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि आगामी मासिक बैठक में परियोजना के सभी महिला पर्यवेक्षिका को भी भाग लेने हेतु निदेशित करेंगे। तदुपरान्त समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यो की बिन्दुवार समीक्षा की गयी एवं निम्न निदेश दिये गये :-

<u>आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची :-</u>

पूर्व सम्पन्न कई बैठकों में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया था कि जिले के सभी पूर्व आंगनबाड़ी केन्द्रों, अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की परियोजनावार सूची संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्रमवार परियोजनावार रिक्ति की जानकारी ली गयी जो निम्न है :-

क्र0	परियोजना का नाम	पूर्व आंगनबाड़ी केन्द्रों की सं0	अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की सं0	मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की सं0	कुल आंगनबाड़ी केन्द्रों की सं0	रिक्ति
1	2	3	4	5	6	7
					125	89, 110, 116
02	सदर, ग्रामीण	110	35	23	168	102, 104
03	जमालपुर	182	11	15	208	4,5,51,167
04	बरियारपुर	92	0	0	92	80, 90
05	धरहरा	104	20	22	146	27,31,39,42, 61,67,94
06	खड़गपुर	181	99	26	306	15,92,93,124
07	टेटियाबंबर	58	12	18	88	4,35,56
08	असरगंज	60	6	4	70	
09	तारापुर	84	0	0	84	49,53,59,66,75
10	संग्रामपुर	78	0	0	78	28, 31, 58,

बैठक में उपस्थित सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पूर्व में उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में यथा स्थान आंकड़ों का समावेश कर संध्या तक पूर्ण सूची अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

<u>मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र :-</u>

विदित हो कि विभागीय निदेश के आलोक में प्रत्येक परियोजना के 10 आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना है। इस निमित्त सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विभागीय पत्र में उल्लिखित मापदंडों में विशेषकर उन आंगनबाड़ी केन्द्रों को मॉडल केन्द्र के रूप में चिन्हित कर सूची उपलब्ध करायेंगे जो सरकारी भवन में चल रहे हों एवं जिनकी कार्यरत् सेविका तथा सहायिका अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से कर रही हो।

आंगनबाड़ी केन्द्र भवन :-

समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ कि RIDF-17 के अन्तर्गत 50 नये आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण होना है। इसके पूर्व समर्पित प्रतिवेदनानुसार 43 चयनित भवनों के जमीन की सूची से अवगत कराने के प्रश्न का उत्तर [illegible] हुए एवं कई बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन की सूची जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को उपलब्ध कराया है किन्तु उनके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया है।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिसम्बर माह के प्रथम सप्ताह तक पूर्व में विभाग को भेजे गये 43 स्थलों की सूची एवं संबंधित पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध करायेंगे। साथ ही सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से निर्माण होने वाले भवन, जहाॅ स्थल उपलब्ध है, की सूची प्राप्त कर संकलित कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे ताकि जिला स्तरीय स्थल चयन समिति के समक्ष रखा जा सके।

केन्द्र का बोर्ड एवं लाभार्थियों की सूची का प्रदर्शन :-

समीक्षा के क्रम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बरियारपुर द्वारा बताया गया कि कई जगह सही लाभार्थियों का नाम नहीं है एवं इसको ठीक कराने की कार्रवाई की जा रही है।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संबंधित परियोजना के प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र के अद्यतन पारिवारिक सूची की जांच कर लिया जाय एवं उक्त कार्य में नवनियोजित महिला पर्यवेक्षिकाओं को कार्य आवंटित किये जाए। यह कार्य दिसम्बर माह तक अवश्य पूर्ण कर ली जाय एवं लाभार्थियों की सूची यथास्थान निश्चित रूप से लग जाना चाहिए।

निरीक्षण-सह-ग्रेडिंग प्रणाली :-

विभागीय निदेश के आलोक में निदेश दिया गया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आंगनबाड़ी केन्द्रों की जांच महिला पर्यवेक्षिकाओं से कराया जाय एवं ग्रेडिंग प्रणाली अन्तर्गत सेविकाओं के दायरे में आने वाले कार्यो एवं उसके बाहर के कार्यो की अलग-अलग ग्रेडिंग करेंगी।